न्यायालय जिला कलक्टर भरतपुर

अपील/RTI/56/2023

श्री आलोक जैन पुत्र श्री सुरेशन्द जैन निवासी कोतवाली कुम्हेर गेट रोड, भरतपुर

..अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी प्रभारी अधिकारी लेखानुभाग कलक्ट्रेट भरतपुर

..रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश दिनांक 20.09.2023

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत श्री आलोक जैन पुत्र श्री सुरेशन्द जैन निवासी कोतवाली कुम्हेर गेट रोड, भरतपुर की अपील लोक सूचना अधिकारी प्रभारी अधिकारी लेखानुभाग कलक्ट्रेट भरतपुर के विरूद्ध इस आशय की प्राप्त हुई है कि अपीलार्थी को चाही गई सूचना, लोक सूचना अधिकारी प्रभारी अधिकारी लेखानुभाग कलक्ट्रेट भरतपुर द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। न्यायालय के पत्रांक कोर्ट/690 दिनांक 11.09.2023 से लोक सूचना अधिकारी प्रभारी अधिकारी लेखानुभाग कलक्ट्रेट भरतपुर से सूचना उपलब्ध कराने/नहीं कराये जाने बावत् रिपोर्ट तलब की गई। लोक सूचना अधिकारी प्रभारी अधिकारी लेखानुभाग कलक्ट्रेट भरतपुर से प्राप्त जबाब पत्रांक प.5 लेखा(04)(5)सूअ/2023/407 दिनांक दिनांक 14.09.2023 शामिल मिसिल किया गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थना पत्र एवं अपील का अवलोकन किया, अपीलान्ट ने अपनी अपील में अंकित किया है कि लोक सूचना अधिकारी प्रभारी अधिकारी लेखानुभाग कलक्ट्रेट भरतपुर द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराई है। सूचना उपलब्ध करवाये जाने का निवेदन किया है। इस बाबत् प्रभारी अधिकारी

जिला कलक्टर
भरतपुर

लेखानुभाग कलक्ट्रेट भरतपुर से प्राप्त जबाब का अवलोकन किया गया। प्रभारी अधिकारी लेखानुभाग कलक्ट्रेट भरतपुर ने अवगत कराया है कि प्रार्थी को कार्यालय के पत्रांक प.5 लेखा(04)(5)सूअ/2023/398 दिनांक दिनांक 11.09.2023 से सूचना उपलब्ध करा दी गई है। लोक सूचना अधिकारी के जबाब से स्पष्ट होता है कि लोक सूचना अधिकारी प्रभारी अधिकारी लेखानुभाग कलक्ट्रेट भरतपुर के स्तर पर सूचना लम्बित नहीं है।

अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलान्ट को (लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त पत्रादि की फोटो प्रति सहित) प्रेषित हो, निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी को प्रेषित की जावे। इस आदेश से सन्तुष्ट ना होने पर अपील राजस्थान सूचना आयोग, जवाहर लाल नेहरू मार्ग जयपुर में की जा सकती है।

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर
भरतपुर